संख्या:1/2016/337/25-8-2016-17(165)/12 टी0सी0

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (गोपन) अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक : 25 अप्रैल, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6603/रा0वि0अ0नि0/लेखा/आय-व्ययक/2016-17, दिनांक 09-10-2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/ 2016, दिनांक 22-03-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-30-लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि (हजार में) रू0 3,30,71,000 (रूपया तीन करोड तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) को राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय के निवर्तन पर प्रस्तर 2, 3, 4, 5 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक एवं मानक मद	प्राविधानित धनराशि (रूपए हजार में)
30 - 2 - 2 - उपरोक्त धनराशि	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं 800-अन्य व्यय 03- राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय	
	01- वेतन	12800
	03- महंगाई भत्ता	17408
	04- यात्रा व्यय	84
	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50
	06- अन्य भत्ते	1720
	07 - मानदेय	30
	08- कार्यालय व्यय	70
	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40
	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1
	13- टेलीफोन पर व्यय	60
	14- मोटर गाडियों का क्रय	1
	15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300
	23- गुप्त सेवा व्यय	200
	42- अन्य व्यय	25
	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1
	45- अवकाश यात्रा व्यय	25
	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	1
	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30
	49- चिकित्सा व्यय	200
	51- वर्दी व्यय	25
का **योग (अंकों में) (धनराशि रूपया तीन करोड तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)**		**33071**

प्रदेशन अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, जिसके करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों अथवा किसी अन्य अस्थायी आदेशों से शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत उल्लिखित लेखाशीर्षक के सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4- धनराशि व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त धनराशि के व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेश का विशेष रूप से पालन किया जाय।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित आदेशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या: 337(1)/25-8-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12 (एक अतिरिक्त प्रति सहित)।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(कर्ण सिंह चौहान)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।